(c) neglect or refuse to perform any of the duties or wilfully perform them in an inefficient manner.

65. Power of Government to declare emergency -- If the Government is of opinion that the stoppage or the cessation of the performance of any of the essential services will be prejudicial to the safety or health or the maintenance of the services essential to the life of the community in the city, it may, by notification in the Gazette, declare that an emergency exists in the city and that in consequence thereof no member of such of the essential services and for such period as may be specified in the notification shall, notwithstanding any law for the time being in force, or any agreement --

(a) withdraw or absent himself from his duties otherwise than on leave duly granted, or

(b) neglect or refuse to perform his duties or wilfully perform them in an inefficient manner.

CHAPTER V

POWERS, DUTIES AND FUNCTIONS OF THE MUNICIPAL AUTHORITIES

Obligatory and Discretionary Duties of the Corporation

66. Matters to be provided for by Corporation -- (1) The Corporation shall make adequate provision, by any means or measures which it may lawfully use or take, for each of the following matters, namely :-

(इ) किन्हीं भी कर्तव्यों के सम्पादन में प्रमाद नहीं करेगा अथवा उससे इन्कार नहीं करेगा अथवा इच्छापूर्वक उन्हें अपटु रीति में सम्पादित नहीं करेगा।

65. शासन की आकस्मिक आवश्यकता घोषित करने की शक्ति -- यदि शासन का यह मत हो कि किन्हीं भी आवश्यक सेवाओं के संपादन की रोक या समाप्ति, जो सुरक्षा या स्वास्थ्य या ऐसी सेवाओं को बनाए रखने के लिए हानिकर होगी जो नगर में समाज के जीवन के लिए आवश्यक हों, तो वह, गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि नगर में आकस्मिक आवश्यकता विद्यमान है और उसके परिणामस्वरूप ऐसी आवश्यक सेवाओं का कोई भी सदस्य ऐसे काल के लिए जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जावे, तत्कालीन प्रभावशील किसी भी विधि या किसी भी ठहराव के होते हुए भी --

(अ) विधिवत स्वीकृत अवकाश के अतिरिक्त अन्यथा अपने कर्तव्यों से स्वयं को न तो विकर्षित करेगा और न अनुपस्थित रहेगा, या

(आ) अपने कर्तव्यों का संपादन करने में न तो असावधानी करेगा और न उससे इन्कार करेगा और न इच्छापूर्वक अपटु रीति में उनका संपादन करेगा।

पाँचवा अध्याय

नगरपालिक प्राधिकारियों की शक्तियाँ, कर्तव्य तथा कार्य

निगम के अनिवार्य तथा विवेकाधीन कर्तव्य

66. बातें जिनकी निगम द्वारा व्यवस्था की जावेगी -- (1) निगम, निम्नलिखित विषयों में से प्रत्येक के लिए ऐसे किन्हीं भी साधनों अथवा उपायों द्वारा जिन्हें निगम वैध रूप से उपयोग में ला सके या ग्रहण कर सके, पर्याप्त व्यवस्था करेगा, अर्थात् :-

(a) lighting public streets, places and buildings;

(b) cleaning public streets, places and sewers and all spaces not being private property, which are open to the enjoyment of the public, whether such spaces are vested in the corporation or not; removing noxious vegetation, and abating all public nuisances;

(c) disposing of night soil and rubbish and, if so deemed desirable, preparation of compost manure from night soil and rubbish;

(d) the maintenance of the fire-brigade for extinguishing fire, and protection of [1][life] and property when fires occur;

(e) regulating or abating dangerous or offensive trades or practices;

(f) removing obstructions and projections in public streets and places, and in spaces not being private property, which are open to the enjoyment of the public whether such spaces are vested in the Corporation or the Government;

(g) establishing and managing cattle ponds;

(h) securing or removing dangerous buildings or places;

(i) acquiring and maintaining, changing and regulating places for the disposal of the

(अ) सार्वजनिक सड़कों, स्थानों तथा भवनों को प्रकाशित करना;

(आ) सार्वजनिक सड़कों, स्थानों तथा मोरियों एवं समस्त ऐसे स्थानों को साफ करना जो निजी संपत्ति न हों तथा जो सार्वजनिक उपयोग के लिए खुले हों, चाहे ऐसे स्थान निगम में वेष्टित हों या नहीं, हानिकारक वनस्पतियों को हटाना, और समस्त सार्वजनिक व्याधाओं को दूर करना;

(इ) निष्ठा तथा निरर्थक पदार्थ का निराकरण और यदि ऐसा वांछनीय समझा जाए तो विष्ठा तथा निरर्थक पदार्थ से मिश्रित खाद तैयार करना;

(ई) अग्नि बुझाने के लिए अग्नि शामक दल को रखना तथा अग्नि लग जाने की दशा में [1][जीवन] एवं संपत्ति की रक्षा करना;

(उ) भयंकर अथवा उद्वेजक व्यापारों अथवा प्रथाओं को नियमित अथवा समाप्त करना;

(ऊ) सार्वजनिक सड़कों या स्थानों में तथा ऐसे स्थानों में जो निजी सम्पत्ति न हों जो जन उपयोग के लिए खुले हों, चाहे ऐसे स्थान निगम में वेष्टित हों अथवा शासन में, बाधाओं तथा प्रलम्बनों को हटाना;

(ए) काँजी हाऊसों को स्थापित करना तथा उनका प्रबन्ध करना;

(ऐ) भयंकर भवनों या स्थानों को सुरक्षित करना अथवा हटाना;

(ओ) मृतक व्यक्तियों के निराकरण के लिए तथा अनधियाचिक शवों के तथा अकिंचनों के शवों के निराकरण के लिए

1. Substituted by Section 3(2) of the M.P. Act 13 of 1961

dead and disposing of unclaimed dead bodies and dead bodies of paupers;

(j) constructing, altering and maintaining public streets, culverts and Corporation boundary markets, latrines, urinals, drains, sewers and providing public facilities for drinking water; watering public streets and places;

(k) the management and maintenance of all municipal water works and the construction and maintenance of new work and means for providing a sufficient supply of suitable water for public and private purposes;

(l) the erection in proper and convenient situations on municipal land of water closets, closet accommodation, urinals, and other conveniences for the public and the maintenance and the cleansing of the same;

(m) the construction and the maintenance of public market and slaughter houses and the regulation of all markets and slaughter houses;

(n) [1][Omitted]

(o) the maintenance of an ambulance service;

(p) naming streets and numbering houses;

स्थानों को प्राप्त करना, व्यवस्थित रखना, परिवर्तित करना तथा नियमित करना;

(औ) सार्वजनिक सड़कों, पुलियाओं तथा निगम के सीमा-चिन्हों, सण्डासों, मूत्रालयों, जलनिकासों, मोरियों का निर्माण करना, उनमें परिवर्तन करना तथा उन्हें व्यवस्थित रखना, तथा जन साधारण को सुविधा के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना, सार्वजनिक सड़कों तथा स्थानों में पानी का छिड़काव करना;

(अं) समस्त नगरपालिक जल कार्यों का प्रबंध तथा उनको व्यवस्थित रखना और सार्वजनिक एवं निजी आशयों के लिए उपयुक्त जल के पर्याप्त प्रदाय की व्यवस्था करने के लिए नए कार्यों तथा साधनों का निर्माण करना तथा उनको व्यवस्थित रखना;

(अः) शौचालयों, शौचकक्ष, व्यवस्थाओं, मूत्रालयों तथा जनता के लिए अन्य सुविधाओं का नगरपालिक भूमि पर उचित तथा सुविधाजनक स्थिति में निर्माण करना तथा उनको व्यवस्थित रखना एवं उनकी सफाई;

(क) सार्वजनिक बाजारों तथा वधशालाओं का निर्माण तथा उनको व्यवस्थित रखना और समस्त बाजारों तथा वधशालाओं का नियमन;

(ख) [1][विलोपित]

(ग) एम्बुलेन्स सेवा को व्यवस्थित रखना;

(घ) सड़कों का नाम रखना, तथा गृहों पर नंबर डालना;

1. Omitted by M.P. Act No. 13 of 1961.

(q) registering births, marriages and deaths;

(r) public vaccination;

(s) establishing and maintaining primary schools;

(t) taking measures to prevent the out-break, spread or recurrence of infectious diseases;

(u) the maintenance of municipal office and of all public monuments and other property vested in the Corporation;

(v) provision of traffic signs;

(w) printing and publishing such annual reports and returns on the administration of the Corporation as the Government may by general or special order, require the Corporation to submit;

(x) the maintenance of public park, gardens, recreation grounds, public places and open spaces in existence and vested in the Corporation;

(y) fulfilling any obligation imposed by this Act or any other law for the time being in force;

(z) construction and maintenance of veterinary dispensaries.

(2) No suit for damages or for specific performance shall be maintainable against the Corporation or any officer or councillor thereof, on the ground that any of the duties specified in sub-section (1) have not been performed.

(ङ) जन्मों, विवाहों तथा मृत्युओं का रजिस्टरांकन करना;

(च) जनता को टीका लगाना;

(छ) प्राथमिक पाठशालाओं को स्थापित करना तथा व्यवस्थित रखना;

(ज) संक्रामक रोगों के प्रारम्भ, प्रसार तथा पुनरावृत्ति की रोक करने के लिए उपाय ग्रहण करना;

(झ) नगरपालिक कार्यालय को तथा समस्त सार्वजनिक स्मारकों तथा निगम में वेष्टित अन्य सम्पत्ति को व्यवस्थित रखना;

(ञ) यातायात चिन्हों की व्यवस्था;

(ट) नगर के प्रशासन के संबंध में ऐसी वार्षिक रिपोर्ट तथा विवरण-पत्र छापना तथा प्रकाशित करना जैसी कि शासन, व्यापक या विशेष आज्ञाओं द्वारा, उसे प्रस्तुत करने को आदेशित करे;

(ठ) विद्यमान तथा निगम में वेष्टित सार्वजनिक उद्यानों, बगीचों, आमोद स्थलों, सार्वजनिक स्थानों तथा खुले हुए स्थानों को व्यवस्थित रखना;

(ड) इस अधिनियम द्वारा अथवा तत्कालीन प्रभावशील किसी अन्य अधिनियम द्वारा आरोपित किसी उत्तरदायित्व को पूरा करना;

(ढ) पशु-औषधालयों का निर्माण करना तथा उनको व्यवस्थित रखना।

(2) इस आधार पर कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कर्त्तव्यों में से किन्हीं का सम्पादन नहीं किया गया है, निगम अथवा उसके किसी पदाधिकारी या पार्षद के विरुद्ध क्षतिपूर्ति अथवा निर्दिष्ट सम्पादन के लिए कोई भी वाद नहीं लाया जावेगा।

टिप्पणी

नगरपालिका निगम का यह कर्त्तव्य है कि अधिनियम के अधीन दिये गये अपने कर्त्तव्यों का पालन करे। नगर निगम इस अभिवाक् का आश्रय नहीं ले सकती कि उसके पास कोष नहीं है। न्यायालय का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह यह देखे कि कोष उपलब्ध है या नहीं। नगर निगम यह नहीं कह सकती कि वह कोष के अभाव में अपना कर्त्तव्य पालन करने की स्थिति में नहीं है। **ग्वालियर बनाम दी म्युनिसीपल कॉर्पोरेशन ग्वालियर और अन्य, मनिसा 1992 हा.को. नोट 57 पेज 237।**

67. Matters which may be provided for by Corporation at its discretion -- In addition to the other powers and duties, conferred or imposed on it by or under this Act or any other Act for the time being in force, the Corporation may in its discretion provide from time to time either wholly or partly for all or any of the following matters, namely :-

(a) reclaiming healthy localities, laying out, whether in areas previously built upon or not, new public streets, and acquiring land for that purpose, including plots of land for building to abut on such streets;

(b) constructing, establishing or maintaining public parks or gardens, library, museums, halls, theatres, stadiums, offices, sarais, rest houses and other public buildings;

(c) constructing and maintaining residential quarters for municipal officers and servants;

(d) construction, maintenance and cleansing of washing and bathing places;

(e) furthering educational objects other than the

67. बातें जिनके संबंध में निगम के विवेकानुसार व्यवस्था की जा सकेगी -- इस अधिनियम के अथवा तत्कालीन प्रभावशील किसी अन्य अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन प्रदत्त अथवा आरोपित अन्य शक्तियों एवं कर्त्तव्यों के अतिरिक्त निगम, अपने विवेकानुसार, समय-समय पर या तो पूर्णतः या अंशतः निम्नलिखित बातों में से समस्त के लिए अथवा उनमें से किन्हीं के लिए व्यवस्था कर सकेगा, अर्थात् :-

(अ) अस्वास्थ्यकर बस्तियों का पुनरुद्धार करना, ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें पूर्व में निर्माण हुआ हो अथवा नहीं, नवीन सार्वजनिक सड़कों को डालना तथा उस आशय के लिए भूमि प्राप्त करना जिसमें ऐसी सड़कों पर मिलने वाले भवनों के लिए भू-भाग सम्मिलित होंगे;

(आ) सार्वजनिक उद्यानों अथवा बागों, पुस्तकालयों, कौतुकालयों, सभा-भवनों, नाट्य-गृहों, क्रीडांगणों, कार्यालयों, सरायों, विश्राम-गृहों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों की रचना करना, स्थापना करना, तथा उन्हें व्यवस्थित रखना;

(इ) नगरपालिक पदाधिकारियों तथा सेवकों के रहने के लिए निवासगृहों का निर्माण करना तथा उन्हें व्यवस्थित रखना;

(ई) नहाने तथा धोने के स्थानों की रचना, व्यवस्था तथा सफ़ाई;

(उ) प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना तथा व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य

establishment and maintenance of primary schools and making grants to educational institutions;	शैक्षणिक उद्देश्यों को अग्रसर करना, तथा शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देना;
(f) planting and maintaining road side and other trees;	(ऊ) मार्ग के किनारे के तथा अन्य वृक्षों को लगाना एवं उनका पोषण करना;
(g) taking a Census and granting rewards for information tending to secure the correct registration of vital statistics;	(ए) जन-गणना करना तथा ऐसी जानकारी के हेतु जिससे जीवन के आंकड़ों का सही रजिस्टरांकन प्राप्त हो सके, पारितोषिक प्रदान करना;
(h) making a survey;	(ऐ) संवीक्षण करना;
(i) the destruction or the detention of ownerless dogs or stray pigs, or detention of animals causing nuisance;	(ओ) स्वामी रहित कुत्तों या आवारा घूमने वाले सुअरों का विनाश या निरोध या व्याधा उत्पन्न करने वाले पशुओं का निरोध;
(j) securing or assisting to secure suitable places for the carrying on of offensive trades or practices;	(औ) उद्वेजक व्यापारों या प्रथाओं को चालू रखने के लिए उपयुक्त स्थानों को प्राप्त करना या प्राप्त करने में सहायता देना;
(k) supplying, constructing and maintaining pipe and other fittings for the supply of water to private premises from water works maintained by the Corporation;	(अं) निगम द्वारा व्यवस्थित जलकार्यों से निजी गृहोपान्तों को जल-प्रदाय करने के लिए नल तथा अन्य फिटिंगों का प्रदाय करना, निर्माण करना तथा व्यवस्थित रखना;
(l) supplying, constructing and maintaining receptacles, fittings, pipes, and other appliances on or for the use of private premises for receiving and conducting the sewage thereof into sewers under the control of the Corporation;	(अः) निजी गृहोपान्तों पर या उनके उपयोग के लिए, उनका गंदा पानी निगम के नियंत्रणाधीन मोरियों में प्राप्त करने या डालने के लिए, पात्रों, फिटिंगों, नलों तथा अन्य उपकरणों का प्रदाय करना, निर्माण करना, तथा उन्हें व्यवस्थित रखना;
(m) fairs and exhibitions, or athletics or games competitions or tournaments;	(क) मेले तथा प्रदर्शनियाँ, या व्यायाम प्रदर्शन या खेल प्रतियोगिता या टूर्नामेन्टस;
(n) constructing and maintaining such roads and buildings and other Government works as the Government may transfer to the Corporation;	(ख) ऐसे मार्गों तथा भवनों, तथा अन्य शासकीय कार्यों का, जिन्हें शासन निगम को अन्तरित करे, निर्माण तथा उनको व्यवस्थित रखना;

(o) organisation and management of chemical or bacteriological laboratories for the examination on analysis of water, food or drugs, for the detection of disease or for researches connected with public health; and

(p) the construction and maintenance in the public streets of drinking fountains for human beings and water-troughs for animals;

(q) the prevention of cruelty to animals;

(r) the playing of music in squares, gardens or other places of public resort;

(s) the construction, purchase, organization, maintenance or management of tramways or motor transport facilities for the conveyance of the public;

(t) preparation and presentation of address to persons of distinction;

(u) prevention of vagrancy; establishing and maintaining poor houses;

(v) establishing and maintaining a farm or factory for the disposal of sewage;

(w) organization and maintenance of maternity homes and infant welfare centres;

(x) the organization, maintenance or management of institutions, for the care and training of blind, deaf, dumb or otherwise disable persons;

(ग) जल, खाद्य या औषधों के परीक्षण अथवा विश्लेषण के लिए, रोगों का पता लगाने के लिए अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित गवेषणाओं के लिए, रासायनिक या जीवाणु संबंधी प्रयोगशालाओं का संगठन तथा प्रबंध;

(घ) सार्वजनिक सड़कों पर मनुष्यों के लिए पानी पीने के नल, तथा पशुओं के लिए पानी की हौदियों का निर्माण तथा उनको व्यवस्थित रखना;

(ङ) पशुओं के प्रति निर्दयता की रोक;

(च) चौराहों, बागों तथा अन्य सार्वजनिक आश्रयस्थलों पर संगीत की व्यवस्था करना;

(छ) जनता के संवहन के लिए ट्राम गाड़ियों या मोटर यातायात की सुविधाओं का निर्माण क्रय, संगठन, व्यवस्था या प्रबंध;

(ज) प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दी जाने वाली उपाधि की तैयारी तथा प्रस्तुति;

(झ) आवारागर्दी की रोक, दरिद्रालयों की स्थापना करना तथा उनको व्यवस्थित रखना;

(ञ) गंदे पानी के निराकरण के लिए फार्म या कारखाने को स्थापित करना तथा उसको बनाए रखना;

(ट) प्रसूतिगृहों तथा शिशु-कल्याण केन्द्रों का संगठन तथा उनको व्यवस्थित रखना;

(ठ) अन्धे, बहरे, गूंगे या अन्यथा असमर्थ व्यक्तियों की देखरेख तथा प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं का संगठन, व्यवस्था या प्रबंध;

(y) swimming pools, public wash houses, bathing places, and other institution designed for the improvement of public health;

(z) dairies or farms within or without the city for the supply, distribution and processing of milk or milk products, for the benefit of the residents of the city;

(aa) establishment and control of gwala colonies and cattle pens within or without the city;

(bb) the purchase of any undertaking for the supply of electric energy or gas or starting or subsidizing of any such undertaking;

(cc) the acquisition and maintenance of grazing grounds within or without the city;

(dd) granting rewards for information regarding the infringement of any provisions of this Act or of any other Acts, the enforcement of which is entrusted to the corporation by regulation or standing order thereunder;

(ee) the construction and maintenance of sanitary stables for animals or vehicles, or garages;

(ff) measures to meet any calamity affecting the public in the city;

(gg) the regulation of lodging houses, and boarding houses in the city;

(ड) तैरने के तालाब, सार्वजनिक प्रक्षालनगृह, नहाने के स्थान तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए अभिप्रेत अन्य संस्था;

(ढ) नगर निवासियों के लाभार्थ दुग्ध या दुग्ध-उत्पादनों के प्रदाय, वितरण तथा प्रक्रिया के लिए नगर के भीतर या बाहर दुग्धशाला या प्रक्षेत्र;

(ण) नगर के भीतर या बाहर ग्वाला बस्तियों तथा पशुओं के बाड़ों की स्थापना तथा नियंत्रण;

(त) विद्युत शक्ति या गैस के प्रदाय के लिए किसी उपक्रम का क्रय या किसी ऐसे उपक्रम का प्रारंभ किया जाना या उसे आर्थिक सहायता देना;

(थ) नगर के भीतर या बाहर चरनोई भूमि की प्राप्ति तथा देखरेख;

(द) इस अधिनियम या किन्हीं अन्य अधिनियमों के जिनका प्रवर्तन निगम को सौंपा जावे, किन्हीं भी आदेशों, प्रबंध-नियमों, या उनके अधीन स्थायी आज्ञाओं के उल्लंघन के संबंध में सूचना देने के लिए पारितोषिकों का दिया जाना;

(ध) पशुओं या गाड़ियों के लिए स्वच्छ अस्तबलों या गैरिजों का निर्माण तथा उनकी व्यवस्था;

(न) नगर में जनता को प्रभावित करने वाली किसी विपत्ति का सामना करने के लिए उपाय;

(प) नगर में वासगृहों तथा छात्रावासों का नियमन;

(hh) the grant of loans for building purposes or for purchase of conveyance to municipal officers and servants, on such terms and conditions as may be prescribed [1][by byelaws] by the corporation;

(ii) any other measures for the welfare of municipal servants;

(jj) contribution towards any public fund raised for the relief of human sufferings within the city or for the public welfare;

(kk) establishing and maintaining pre-primary schools;

[1][(ll) establishing and maintaining public hospitals and dispensaries and carrying out other means necessary for public medical relief;]

[2][(mm)] any other matter likely to promote the public health, safety or convenience of the public;

[3][(nn) Urban planning including town planning;

(oo) Regulations of land-use and construction of buildings;

(pp) Planning for economic and social development;

(qq) Urban forestry, protection of the environment and promotion of ecological aspects;

(rr) Safeguarding the interests of weaker sections of society, including the handicapped and mentally retarded; and

(ss) Urban poverty alleviation.]

(फ) भवन-निर्माण के आशयों के लिए या नगरपालिक पदाधिकारियों तथा सेवकों के वाहन के क्रय के हेतु ऐसे निर्बन्धनों तथा प्रतिबंधों पर ऋणों का दिया जाना जैसे कि निगम द्वारा [1][उपविधियों द्वारा] नियत किए जाएँ;

(ब) नगरपालिक सेवकों के कल्याण के लिए कोई अन्य उपाय;

(भ) नगर के भीतर पीड़ित मानवों की सहायता के लिए या सार्वजनिक कल्याण के लिए निर्मित किसी भी सार्वजनिक निधि में अंशदान;

(म) पूर्व-प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना तथा उनकी व्यवस्था;

[1][(य) सार्वजनिक चिकित्सालयों तथा औषधालयों का स्थापित किया जाना तथा उनका व्यवस्थित रखा जाना और ऐसे अन्य साधनों का कार्यान्वित किया जाना, जो कि सार्वजनिक चिकित्सीय सहायता के लिए आवश्यक हो;]

[2][(र)] कोई अन्य बात जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा अथवा जनता की सुविधा में उन्नति होने की संभावना हो।

[3][(ल) नगरीय योजना जिसके अन्तर्गत नगर योजना भी है;

(व) भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण;

(श) आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना;

(ष) नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी के आयामों की अभिवृद्धि;

(स) समाज के कमजोर वर्गों, के जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा; और

(ह) नगरीय निर्धनता का उन्मूलन।]

1. Inserted by Section 3 (2) of the M.P. Act 13 of 1961.
2. Renumbered by Section 3 (2) of the M.P. Act 13 of 1961.
3. Ins. by M.P. Act No. 16 of 1994 published in M.P. Gazette (Extraordinary) dated 30-05-1994.

68. Entrustment of certain functions by State Government to Corporation -- (1) The State Government may entrust either conditionally or unconditionally to the Corporation functions in relation to any matter specified in the [1][Schedule] [2][Schedule-I] or in relation to any other matter to which the executive authority of the State extends or in respect of which functions have been entrusted to the State Government by the Central Government and the Corporation shall be bound to perform these functions.

(2) Where functions are entrusted to the Corporation under this section, the Corporation shall, in the discharge of these functions, act as an agent for the State Government.

(3) Where by virtue of this section powers and duties have been conferred or imposed as agency functions upon the Corporation, there shall be paid by the State Government to the Corporation such sum as may be determined by the State Government in respect of any extra costs of administration incurred by the Corporation in connection with the exercise of those powers and duties.

(4) In so far as the Corporation is required to act under this section, it shall be under the general control of, and comply with such particular directions, if any, as may, from time to time, be given to it by the State Government or any other authority appointed by the State Government in this behalf.

(5) The State Government may, by order, place at the disposal of the

68. शासन द्वारा निगम को कतिपय कार्यों का सौंपा जाना -- (1) शासन [1][परिशिष्ट] [2][अनुसूची-एक] में निर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित कार्य के संबंध में या किसी अन्य ऐसे विषय के संबंध में, जो राज्य के कार्यपालिक प्राधिकारी के अन्तर्गत आता हो, या जिसके संबंध में कार्य केन्द्रीय शासन द्वारा राज्य शासन को सौंपे गए हों कार्य निगम को सप्रतिबंध या बिना प्रतिबंध के सौंप सकेगा, और निगम इन कार्यों का सम्पादन करने के लिए आबद्ध होगा।

(2) जब निगम को इस धारा के अधीन कार्य सौंप दिए जाए तो निगम इन कार्यों का निष्पादन करते समय शासन की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा।

(3) जब इस धारा के आधार पर शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य निगम को एजेन्सी कार्यों के रूप में प्रदान या आरोपित किए जा चुके हों तो राज्य शासन द्वारा निगम को ऐसी धनराशि दी जाएगी जो उन शक्तियों तथा कर्त्तव्यों के प्रयोग में लाने के कारण निगम द्वारा किए गए प्रशासन संबंधी अतिरिक्त व्ययों के संबंध में शासन द्वारा निरुपित की जाए।

(4) जहाँ तक निगम को इस धारा के अधीन कार्य करने के लिए आदेशित किए जाने की सीमा है, वह राज्य शासन के व्यापक नियंत्रण के अधीन होगा और ऐसे विशिष्ट निर्देशों का, यदि कोई हों, पालन करेगा जो राज्य शासन या राज्य शासन द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर उसको दिए जाएँ।

(5) राज्य शासन राज्य के ऐसे सेवकों की या राज्य के ऐसी श्रेणियों के सेवकों की, जिनकी नगर

1. **Applicable only in Madhya Pradesh.**
2. **Subs. by Sec. 9 of C.G. Act No. 18 of 2012 (w.e.f. 9-8-2012) for the word "Schedule", published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 9-8-2012 Pages 425-426(26). Applicable only in Chhattisgarh.**

Corporation, and the Corporation shall utilise, the services of such servants of the State or such classes of servants of the State as are employed in the City in connection with a matter entrusted to the Corporation under this section, and all such servants shall discharge their duties under the general supervision and control of the Commissioner :

Provided that the extent of the said general supervision and control shall be such as may be [1][prescribed by byelaws made under section 427.]

69. Functions of several municipal authorities -- (1) The functions of the several municipal authorities shall be such as are prescribed in this Act.

(2) **Municipal Government of the city vests in the Corporation** -- Except as otherwise expressly provided in this Act the municipal Government of the city vests in the Corporation .

(3) **Special functions of the Commissioner** -- Subject to the approval or sanction of the Corporation or of the Standing Committee, whenever it is in this Act expressly so directed and subject also to all other restrictions, limitations and conditions imposed by this Act, the entire executive power for the purpose of carrying out the provisions of this Act vests in Commissioner who shall also --

(a) perform all the duties and exercise all the powers imposed or conferred upon him by this Act;

(b) prescribe the duties, and exercise supervision and

में निगम को इस धारा के अधीन सौंपे गए विषय के संबंध में नियुक्ति की गई हो, सेवाएँ, आज्ञा द्वारा, निगम के अधिकार में रख सकेगा तथा निगम उन्हें उपयोग में लाएगा, और समस्त ऐसे सेवक अपने कर्त्तव्यों का निष्पादन आयुक्त की व्यापक देख-रेख तथा नियंत्रण में करेंगे :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि उक्त व्यापक देख-रेख तथा नियंत्रण की सीमा वही होगी जो [1][धारा 427 के अधीन बनाई गई उपविधियों द्वारा नियत] की जाए।

69. विभिन्न नगरपालिक प्राधिकारियों के कार्य -- (1) विभिन्न नगरपालिक प्राधिकारियों के कार्य ऐसे होंगे जैसे कि इस अधिनियम में नियत किए गए हैं।

(2) **नगर का नगरपालिक शासन निगम में वेष्टित होगा** -- इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्टतः आदिष्ट होने के अतिरिक्त, नगर का नगरपालिक शासन निगम में वेष्टित होगा।

(3) **आयुक्त के विशेष कार्य** -- जब कभी इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से इस प्रकार निर्देशित किया जावे, निगम या स्थायी समिति की मान्यता या स्वीकृति के अधीन और इस अधिनियम द्वारा आरोपित अन्य समस्त आयंत्रणों, बन्धनों तथा प्रतिबन्धों के भी पालन के अधीन, इस अधिनियम के आदेशों को कार्यान्वित करने के आशय के लिए सम्पूर्ण कार्यपालिक शक्ति आयुक्त में वेष्टित होगी, जो --

(अ) ऐसे समस्त कर्त्तव्यों का भी संपादन करेगा तथा ऐसी समस्त शक्तियों को भी प्रयोग में लाएगा जो इस अधिनियम द्वारा उस पर आरोपित किए जावें या उसको प्रदत्त की जावें;

(आ) कर्त्तव्यों को नियत करेगा तथा निगम कार्यालय के पदाधिकारियों तथा सेवकों

1. Substituted by S. 3 (2) of the M.P. Act 13 of 1961.

control over the acts and proceedings of all municipal officers and servants other than the officers and servants of Corporation office and subject to the rules or byelaws for the time being in force, dispose of all questions relating to the services of the said officers and servants and their pay, privileges and allowances;

(c) on the occurrence of any accident or unforeseen event or on the threatened occurrence of any disaster, involving or likely to involve extensive damage to any property of Corporation or danger to human or animal life, take such immediate action as the emergency shall appear to him to justify and require reporting forthwith to the Standing Committee or the Corporation, when he has done so, the action he has taken and his reasons for taking the same and the cost if any incurred or likely to be incurred in consequence of such action and not covered by a current budget grant.

(4) **Municipal officers may be empowered to exercise the powers of Commissioner** -- Any of the powers, duties or functions conferred or imposed upon or vested in the Commissioner by this Act may be exercised, performed or discharged under the Commissioner's

के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरपालिक पदाधिकारियों तथा सेवकों के कार्यों तथा उनकी कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण भी करेगा तथा उन पर नियंत्रण भी रखेगा और तत्कालीन प्रचलित नियमों, या उप-विधियों के पालन के अधीन, उक्त पदाधिकारियों तथा सेवकों की सेवाओं और उनके वेतन, विशेषाधिकारों तथा भत्तों से संबंधित समस्त प्रश्नों का निराकरण भी करेगा;

(इ) किसी दुर्घटना या पूर्वादृष्ट घटना के घटित होने पर, या कोई ऐसी भयंकर घटना घटित होने की आशंका होने पर, जिसमें निगम की किसी सम्पत्ति को व्यापक क्षति या क्षति पहुंचने की संभावना सन्निहित हो, या जिसमें मानव या पशु जीवन को संकट या संकट पहुंचने की संभावना सन्निहित हो, ऐसी तात्कालिक कार्यवाही भी करेगा जैसी कि आकस्मिक आवश्यकता की दशा में उसे न्यायसंगत तथा आवश्यक प्रतीत हो, और ऐसा कर चुकने पर ऐसी कार्यवाही की, जो उसने की हो, तथा उसे करने के लिए अपने कारणों की और ऐसे व्यय की, यदि कोई हो, जो ऐसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप हुआ हो या होने की संभावना हो तथा जो चालू बजट अनुदान के अंतर्गत न आता हो, रिपोर्ट स्थायी समिति या निगम को तत्काल प्रस्तुत करेगा।

(4) **नगरपालिक पदाधिकारी आयुक्त की शक्तियाँ प्रयोग में लाने के लिए सशक्त किए जा सकेंगे** -- इस अधिनियम द्वारा आयुक्त को प्रदत्त या उस पर आरोपित या उसमें वेष्टित कोई भी शक्तियाँ, कर्त्तव्य या कार्य, आयुक्त के नियंत्रण के अधीन तथा उसके अधीक्षण के एवं ऐसे

control, and subject to his superintendence and to such conditions and limitations if any as he may think fit to prescribe, by any municipal officer whom the commissioner may generally or specially empower in writing in this behalf.

प्रतिबंधों तथा सीमाओं के, यदि कोई हों, पालन के अधीन, जिन्हें नियत करना वह उचित समझे, किसी ऐसे नगरपालिक पदाधिकारी द्वारा क्रमशः प्रयोग में लाई जा सकेगी, सम्पादित किए जा सकेंगे या निष्पादित किए जा सकेंगे, जिसे आयुक्त व्यापकतः या विशेषतः इस संबंध में लिखित रूप में सशक्त करे।

टिप्पणी

भवन अधिकारी को धारा 307(2) के अधीन आयुक्त में निहित शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई -- भवन अधिकारी द्वारा अर्जीदार को धारा 307(2) के अधीन जारी नोटिस उचित थी। **मार्बल सिटी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर (प्रा.) लिमिटेड बनाम नगरपालिक निगम, जबलपुर और अन्य, 2010 (2) MPLJ 95.**

70. Corporation may call for proceedings, etc., from committee -- The Corporation may at any time call for any extract from any proceeding of any committee and for a return, statement, account or a report concerning or connected with any matter with which any such committee is empowered by this Act to be; and every such requisition shall be complied with by such committee without unreasonable delay.

70. निगम समिति से कार्य-विवरण आदि की मांग कर सकेगा -- निगम, किसी समिति की किन्हीं भी कार्यवाहियों में से किसी उद्धरण की तथा किसी ऐसे विषय से, जिसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए ऐसी कोई समिति इस अधिनियम द्वारा सशक्त की गई हो, संबंधित विवरण-पत्र, वृत्तान्त-पत्र, वर्णन या रिपोर्ट की, किसी भी समय, मांग कर सकेगा और प्रत्येक ऐसी मांग का ऐसी समिति द्वारा, किसी अनुचित विलम्ब के बिना, पालन किया जाएगा।

71. Corporation may require, Commissioner to produce documents -- (1) The Corporation may at any time require the Commissioner --

(a) to produce any record, correspondence, plan or other document which is in his possession or under his control as Commissioner, or which is recorded or filed in his office or in the office of any municipal officer or servant subordinate to him;

(b) to furnish any return, plan, estimate, statement, account

71. निगम लिखित में प्रस्तुत करने के लिए आयुक्त को आदेश दे सकेगा -- (1) निगम, आयुक्त को, निम्नलिखित के लिए, किसी भी समय, आदेश दे सकेगा :-

(अ) किसी ऐसे लेख्य-संग्रह, पत्र-व्यवहार, योजना चित्र या अन्य लिखतम प्रस्तुत करने के लिए जो उसके आधिपत्य में हो या आयुक्त होने के नाते, उसके नियंत्रण के अधीन हो या जो उसके कार्यालय में या उसके अधीनस्थ किसी नगरपालिक पदाधिकारी या सेवक के कार्यालय में लेख्यसंग्रहीत या प्रकरण पत्र में सम्मिलित हो;

(आ) किसी ऐसे विषय के संबंध में जो इस अधिनियम के प्रशासन या नगर के

or statistics concerning or connected with any matter appertaining to the administration of this Act or the municipal Government of the city;

(c) to furnish a report by himself, or to obtain from the head of the department subordinate to him and furnish, with his own remarks thereon a report upon any subject concerning or connected with administration of this Act or the Municipal Government of the city.

(2) Except as provided in sub-section (3) every such requisition shall be complied with by the Commissioner without unreasonable delay and it shall be incumbent on every municipal officer and servant to obey any order made by the Commissioner in pursuance of any such requisition.

(3) If, on any such requisition being made, the Commissioner shall declare that immediate compliance therewith would be prejudicial to the interests of the Corporation or of the public, it shall be lawful for him to defer such compliance until a time not later than the second ordinary meeting of the Corporation after he shall have declared as aforesaid. If at such meeting, or any meeting subsequent thereto, the Corporation shall repeat the requisition and it shall then still appear to the Commissioner inexpedient to comply therewith, he shall make a declaration to that effect. Thereupon it shall be lawful for the Corporation to form a Committee consisting of the Mayor, one Councillor chosen by the Corporation

नगरपालिक शासन से संबंधित हो, कोई विवरण-पत्र, योजना-चित्र, अनुमान, वृत्तान्त-पत्र, लेखा या स्थिति-अंक प्रस्तुत करने के लिए;

(इ) या तो स्वयं के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए या इस अधिनियम के प्रशासन या नगर के नगरपालिक शासन से संबंधित या उससे संबद्ध किसी भी विषय पर रिपोर्ट, अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्ष से प्राप्त करके उसे, उस पर अपनी स्वयं की टिप्पणी सहित प्रस्तुत करने के लिए।

(2) उप-धारा (3) में आदिष्ट रूप के अतिरिक्त प्रत्येक ऐसी मांग का, आयुक्त द्वारा किसी अनुचित विलम्ब के बिना, पालन किया जाएगा और प्रत्येक नगरपालिक पदाधिकारी तथा सेवक किसी ऐसी मांग के अनुसरण में आयुक्त द्वारा दी गई किसी भी आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(3) यदि, कोई ऐसी मांग की जाने पर, आयुक्त यह घोषित करे कि उसका तात्कालिक पालन निगम या जनता के हितों के लिए हानिकारक होगा, तो उसके लिए यह वैध होगा कि वह ऐसे पालन को उस समय तक स्थगित रखे जो उसके इस प्रकार पूर्वोक्त रूप में घोषणा करने के पश्चात् निगम के द्वितीय साधारण सम्मिलन के काल के बाद का न हो। यदि, ऐसे सम्मिलन या उसके किसी पश्चात्वर्ती सम्मिलन के समय, निगम उसी मांग को दुहराए और आयुक्त को उस समय भी ऐसी मांग का पालन करना अनुचित प्रतीत हो, तो वह इस आशय की एक घोषणा करेगा। तदुपरान्त निगम के लिए यह वैध होगा कि वह किसी ऐसी समिति का निर्माण करे जिसमें महापौर, निगम द्वारा चुना गया एक पार्षद तथा स्थायी समिति द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित एक सदस्य होगा, जो

and one member elected by the Standing Committee from among its members which shall engage to keep secret the existence and purport of all such document and matters as may be disclosed to them except as provided in sub-section (3). The Commissioner shall be bound to make known and disclose to the said committee all writings and matter within his knowledge or under his control or otherwise available to him and included within the said requisition. The said Committee having taken cognizance of the information, writings and matters so laid before it shall determine by a majority of votes, whether or not the whole or any part, and which part if any of such matters ought to be disclosed to the Corporation or kept secret for a defined time. Such decision shall be conclusive and shall be reported to the Corporation at the next ordinary meeting thereof. At such meeting the Commissioner when called on to do so by the Corporation, shall produce any documents and make any report or statement that may be required in order to give effect to the decision of the Committee.

72. Exercise of functions to be subject to sanction by Corporation of the necessary expenditure -- The exercise or performance by any municipal authority of any power conferred or duly imposed by or under this Act which is likely to involve expenditure shall, except in any case specified in the proviso to section 94 be subject to the following conditions, namely :-

(a) such expenditure, so for as it is to be incurred in the financial year in which such power may be exercised or duty performed, shall have been provided for under a current budget grant; and

उप-धारा (3) में आदिष्ट किए गए के अतिरिक्त ऐसी समस्त लिखतमों तथा विषयों के अस्तित्व तथा अभिप्राय को गुप्त रखेगी जो उसके समक्ष प्रगट किए जावें। आयुक्त, उक्त समिति को ऐसे समस्त लेखों तथा विषयों की जानकारी देने तथा उन्हें उसके समक्ष प्रगट करने के लिए आबद्ध होगा जिनका उसे ज्ञान हो, या जो उसके नियंत्रण के अधीन हों, या अन्य प्रकार से उसे उपलभ्य हों, तथा उक्त मांग में सम्मिलित हों। उक्त समिति, इस प्रकार उसके समक्ष प्रस्तुत की गई जानकारी, लेखों तथा विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् बहुमत से यह निरूपित करेगी कि ऐसे सम्पूर्ण विषय या उनका कोई भाग तथा उनका कौनसा भाग, यदि कोई हो, निगम के समक्ष प्रगट किया जाना चाहिए अथवा नहीं किया जाना चाहिए अथवा किसी निश्चित समय तक गुप्त रखा जाना चाहिए, ऐसा निर्णय अन्तिम होगा तथा उसकी रिपोर्ट, निगम को उसके आगामी साधारण सम्मिलन के समय, दी जावेगी। ऐसे सम्मिलन के समय आयुक्त, जब वह ऐसा करने के लिए निगम द्वारा आदेशित किया जावे, किन्हीं भी लिखतमों को प्रस्तुत करेगा और कोई ऐसी रिपोर्ट या कथन करेगा जो समिति के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।

72. निगम द्वारा आवश्यक व्यय की स्वीकृति के अधीन कार्यों का किया जाना -- इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति या आरोपित किसी कर्त्तव्य का किसी भी नगरपालिक प्राधिकारी द्वारा ऐसा प्रयोग या संपादन, जिसमें व्यय होने की संभावना हो, धारा 94 के प्रतिबन्ध में निर्दिष्ट किसी भी दशा में के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रतिबन्धों के पालन के अधीन होगा अर्थात् :-

(अ) ऐसे व्यय की जहाँ तक वह किसी ऐसे वित्तीय वर्ष में किया जाना हो, जिसमें ऐसी शक्ति प्रयोग में लाई जावे या कर्त्तव्य का सम्पादन किया जावे, व्यवस्था चालू बजट अनुदान के अधीन होगी; और

(b) If the exercise of such power or the performance of such duty involves, or is likely to involve expenditure for any period or at any time after the close of the said financial year, liability for such expenditure shall not be incurred without the sanction of the Corporation.

(आ) यदि ऐसी शक्ति के प्रयोग या ऐसे कर्त्तव्य के सम्पादन में, उक्त वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् किसी भी काल के लिए या किसी भी समय, व्यय सन्निहित हो या व्यय सन्निहित होने की संभावना हो, तो ऐसे व्यय के लिए दायित्व निगम की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।

[1][73. **Contracts by or on behalf of the Corporation** -- (1) Contracts by or on behalf of the Corporation shall be expressed to be made by the Commissioner in accordance with the following provisions :-

(a) every such contract shall be made on behalf of the Corporation by the Commissioner;

(b) no such contract for any purpose which, in accordance with any provision of this Act, the Commissioner may not carry out without the approval or sanction of some other municipal authority, shall be made by him until or unless such approval or sanction has been duly obtained;

(c) the Mayor-in-Council, the Mayor and the Commissioner may sanction any estimate or contract (including technical and administrative) involving such amount, as may be prescribed :

Provided that whenever the amount of sanction exceeds, ten times of the amount which is prescribed for

[1][73. **निगम द्वारा या उसकी ओर से संविदाएँ** -- (1) निगम द्वारा या उसकी ओर से संविदाएँ इस प्रकार अभिव्यक्त होंगी जो निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार आयुक्त द्वारा की जाएंगी :-

(क) प्रत्येक ऐसी संविदा, आयुक्त द्वारा निगम की ओर से की जाएँगी;

(ख) किसी प्रयोजन के लिए ऐसी संविदा जिसे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसार, आयुक्त किसी नगरपालिक प्राधिकारी के अनुमोदन या स्वीकृति के बिना न कर सके, उसके द्वारा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसा अनुमोदन या स्वीकृति विधिवत रूप से अभिप्राप्त न कर ली गई हो;

(ग) मेयर-इन-कौंसिल, महापौर तथा आयुक्त उतनी रकम जितनी कि विहित की जाए, का कोई प्राक्कलन या संविदा (तकनीकी तथा प्रशासकीय स्वीकृति को सम्मिलित करते हुए) स्वीकृत कर सकेगा :

परन्तु जब कभी स्वीकृति की रकम उस रकम से दस गुना अधिक हो जाती है जो कि पूर्वोक्त प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा

1. Subs. by M.P. Act No. 29 of 2003, published in M.P. Gazette (Extraordinary) dated 25-8-2003. Applicable only in Madhya Pradesh.

sanction by each of the aforesaid authorities it shall be reported by each such authority to the next superior authority i.e. by Commissioner to the Mayor, by the Mayor to the Mayor-in-Council and by Mayor-in-Council to the Corporation;

(d) all other estimates or contracts shall be sanctioned by the Corporation.

(2) The manner and procedure for giving contract shall be such as may be prescribed.

(3) The Corporation, in order to take assistance in technical or other matters, may engage the services of a qualified consultant. The qualifications of the consultant and the procedure for the appointment of such consultant shall be subject to rules made in this behalf.]

स्वीकृति के लिए विहित की गई है तो इसकी रिपोर्ट प्रत्येक ऐसे प्राधिकारी द्वारा अगले वरिष्ठ प्राधिकारी को की जाएगी जैसे कि आयुक्त द्वारा महापौर को, महापौर द्वारा मेयर-इन-कौंसिल को तथा मेयर-इन-कौंसिल द्वारा निगम को रिपोर्ट की जाएगी।

(घ) समस्त अन्य प्राक्कलन या संविदाएँ निगम द्वारा स्वीकृत की जाएंगी।

(2) संविदाएँ दिए जाने के लिए रीति तथा प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए।

(3) निगम, तकनीकी या अन्य मामलों में सहायता लेने के लिए अर्ह परामर्शी की सेवाएँ ले सकेगा, परामर्शी की अर्हताएँ तथा ऐसे परामर्शी को नियुक्त किए जाने के लिए प्रक्रिया इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन होंगी।]

SECTION 73 APPLICABLE IN CHHATTISGARH ONLY

[1][73. **Contracts by or on behalf of the Corporation** -- (1) Contracts by or on behalf of the Corporation shall be expressed to be made by the Commissioner in accordance with the following provisions :-

(a) every such contract shall be made on behalf of the Corporation by the Commissioner;

(b) no such contract for any purpose which in accordance with any provision of this Act, the Commissioner may not carry out without the approval or sanction of some

केवल छत्तीसगढ़ में लागू धारा 73

[1][73. **संविदाओं का निष्पादन** --

(1) निगम द्वारा उसकी ओर से संविदाएँ इस प्रकार अभिव्यक्त होंगी, जो निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार आयुक्त द्वारा निष्पादित होंगी --

(क) ऐसी प्रत्येक संविदा, आयुक्त द्वारा निगम की ओर से निष्पादित होगी,

(ख) किसी प्रयोजन के लिए ऐसी संविदा, जिसे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसार, आयुक्त किसी नगरपालिका प्राधिकारी के अनुमोदन या स्वीकृति के बिना न कर सके,

1. Subs. by C.G. Act No. 15 of 2004, published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 3-1-2005. Applicable only in Chhattisgarh.